24. तद्नुसार, रिट याचिका और इन याचियों द्वारा फाइल किए गए अंतरित मामले मंजूर किए जाते हैं और खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है । परिणामस्वरूप, उन याचियों को, जिनके पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी गई है, सेवा में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 732 में के याची को सेवा की निरंतरता और बीच की अवधि के वेतन सहित तत्काल सेवा में वापस ले लिया जाएगा ।

रिट याचिका और अंतरित मामले मंजूर किए गए ।

ग्रो.

[2019] 1 उम. नि. प. 353

शमीम (श्रीमती)

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

19 सितम्बर, 2018

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

दंड संहिता 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 307 और 34 – हत्या और हत्या का प्रयत्न – सामान्य आशय – अभियुक्त-अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों द्वारा पारिवारिक दुश्मनी के कारण मृतक व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या किया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी को संदेह का फायदा देकर दोषमुक्त किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना – जहां स्वयं अभियुक्त की पुत्री ने अपनी माता के विरुद्ध साक्ष्य दिया जिसके लिए अत्यधिक नैतिक बल और साहस चाहिए और घटना में क्षतिग्रस्त साक्षी का साक्ष्य भी अभियुक्त के विरुद्ध हो तथा अभियुक्त के संस्वीकृति कथन की संपुष्टि अन्य साक्ष्य से हुई हो,

वहां उसे साक्ष्य में प्रकट तुच्छ विरोधाभासों के आधार पर संदेह का फायदा नहीं दिया जा सकता है और दोषसिद्ध करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 27 मार्च, 2006 को रात्रि में पप्पू और अनिशा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मृतक' कहा गया है) की उनके मकान के प्रथम तल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । अभि. सा. 2, हीना को उसकी गर्दन पर एक उस्तरे से कई सारी क्षतियां पहुंची थीं । मृतक और अभि. सा. 2 इशरत अली (अभि. सा. 1) के क्रमश: भाई/माता/बहिन हैं । अभि. सा. 4, शबनम अपीलार्थी की पुत्री है, जिसने अपीलार्थी की इच्छा के विरुद्ध अभि. सा. 1 से विवाह किया था । अभि. सा. 3, मोहम्मद इमरान अभि. सा. 1 का भाई है । पक्षकार 5 से 6 फुट की गली से विभाजित आमने-सामने के मकानों में रहते थे जिनका सांझा तलरूप था । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 अपने विवाह के पश्चात् एक अलग निवासस्थान में स्थानांतरित हो गए थे । अभि. सा. 3 ने घर वापस आने पर अपीलार्थी को अपने मकान के बाहर खड़े हुए देखा और अन्य अभियुक्त मकान से बाहर जा रहे थे जिनके वस्त्र रक्त-रंजित थे । यह साक्षी शव ढूंढ़ने के लिए मकान के अंदर गया और अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त हालत में होने के कारण बोलने में असमर्थ थी और इस साक्षी ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 को सूचित किया, जो इसके पश्चात् घटनास्थल पर आए । इससे पूर्व, सायंकाल में अभि. सा. 2 ने देखा था कि अपीलार्थी अपने मकान के बरामदे में खड़ी होकर साक्षी के मकान की ओर से देख रही थी । जब अभि. सा. 4 बरामदे में आई तब अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह उसकी बात नहीं सुन रही थी इसलिए यह घटना उसी का परिणाम है और उसने मृतका को तो मार दिया है तथा उसके पति का भी वही अंजाम होगा । विचारण न्यायालय ने चार अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 449/302/307/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । अपीलार्थी को घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के विषय में, उसकी रक्त-रंजित 'चुन्नी' बरामद न होने और षड्यंत्र के विषय में किसी साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया । उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलार्थी पर यह हेतु आरोपित किया कि वह अभि.

सा. 4 और अभि. सा. 1 के बीच हुए विवाह से नाराज थी और उसने इसका जोरदार रूप से विरोध किया था । अभि. सा. 2, क्षतिग्रस्त साक्षी का साक्ष्य और इसके साथ-साथ अपीलार्थी के प्रकटन के अनुसरण में घटना के अगले दिन की गई रक्त-रंजित ताले और चाबी तथा 'चुन्नी' जिस पर रक्त के धब्बे थे, की बरामदगी को विश्वसनीय और भरोसेमंद माना गया । अत:, अपीलार्थी को भी अन्य अभियुक्तों की तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दांडिक विचारण में, प्रसामान्यत: मृतक की पत्नी, पति, पुत्र या पुत्री के साक्ष्य को इस सिद्धांत के आधार पर अधिक महत्व दिया जाता है कि उनके लिए ऐसा कोई कारण नहीं होता है कि वे सत्य न बोले और वास्तविक अपराधी को बचाएं । प्रसामान्य मानवीय व्यवहार और आचरण के अनुसार, साक्षी की प्रवृत्ति अपने किसी घनिष्ठ नातेदार अभियुक्त को बचाने और संरक्षा करने की होती है । किसी पुत्री के लिए अपनी ही माता के विरुद्ध, जो अभियुक्त है, साक्ष्य देने के लिए उच्च कोटि की साहसिक धारणा और नैतिक बल चाहिए । ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसी साक्षी की विश्वसनीयता को उतना ही प्रतिवर्ती महत्व क्यों नहीं दिया जाए । अभि. सा. 4 अपीलार्थी की पुत्री है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना से दो दिन पूर्व अपीलार्थी ने उसे यह धमकी दी थी कि या तो वह अभि. सा. 1 को छोड़ दे नहीं तो वह उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देगी । घटना के ठीक पश्चात् अपने ससुराल के मकान में पहुंचने के पश्चात् वह बरामदे में आई । अपीलार्थी ने, जो अपने बरामदे में खड़ी थी, इस साक्षी से कहा कि उसने मृतकों को मरवा दिया है क्योंकि वह उसकी बात नहीं सुन रही थी और अगली बार उसके पति को मारा जाएगा । उसने प्रतिपरीक्षा में इसी बात को दोहराया । न्यायालय की राय में, इस साक्षी और अपीलार्थी के बीच के संबंध की प्रकृति पर विचार करते हुए, इस कथन को एक न्यायिकेतर संस्वीकृति होने के कारण, संपुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में समझा जा सकता है । अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 10.30 बजे अपराह्न में घर

लौटने पर उसने अपीलार्थी को देखा था और अन्य अभियुक्त रक्त-रंजित वस्त्रों के साथ उसके मकान से बाहर आ रहे थे और वे अपीलार्थी के मकान की ओर जा रहे थे । थोड़ी देर बाद अन्य अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान से बाहर आए और गली की ओर चले गए । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इसी कथन को दोहराया और विनिर्दिष्ट रूप से इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलार्थी को इस साक्षी के मकान से बाहर आते हुए नहीं देखा था । अपीलार्थी द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर एक रक्त-रंजित ताला और चाबी भी बरामद की गई थी । अभि. सा. 2 एक क्षतिग्रस्त साक्षी है जिसका घटना में गला काट दिया गया था और इसके कारण उसकी आवाज चली गई थी तथा उसे दो माह अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था । क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि यह उपधारणा की जाती है कि उसी घटना में अपराध का शिकार होने के कारण साक्षी सच बोल रहा है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अन्य अभियुक्तों द्वारा मृतक व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने के पश्चात् अपीलार्थी ऊपर की मंजिल से आई । अपीलार्थी के उकसाने पर अभियुक्त नौशाद, अभि. सा. 4 का भाई, ने पुन: इस साक्षी पर उस्तरे से उसके गले पर हमला किया । जब अभियुक्त जा रहे थे तो अपीलार्थी लड़खड़ाकर इस साक्षी पर गिर गई थी । अपीलार्थी की रक्त-रंजित 'चुन्नी' का पता घटना के अगले दिन उसके संस्वीकृति कथन के आधार पर चला था, इसलिए यह कथन स्पष्ट हो जाता है । किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या साक्षी के साक्ष्य को समग्र रूप में पढ़ने पर विश्वास उत्पन्न होता है या नहीं । जब एक बार यह राय बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा, विशिष्ट रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, त्रुटियों और खामियों को ध्यान में रखते हुए करे तथा यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह साक्ष्य के साधारण नियम के विरुद्ध है या नहीं और क्या साक्ष्य का पूर्ववर्ती मूल्यांकन इतना डगमगा गया है कि वह संदेहास्पद हो गया है । तुच्छ विषयों पर ऐसी छुट-पुट विसंगतियां जो मामले के केंद्र बिंदु को स्पर्श न करती हों, साक्ष्य में से यहां-वहां से संदर्भ के बाहर के वाक्यों को निकालकर अति तकनीकी दृष्टिकोण

अपनाकर, मामले की तह में जाए बिना कुछ तकनीकी गलती को महत्व देकर संपूर्ण साक्ष्य को नामंजूर करना साधारणतया अनुज्ञात नहीं होगा । पुलिस के कथनों में के छुट-पुट लोप कभी भी घातक नहीं समझे जाते हैं । साक्षियों द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए कथनों का अभिप्राय संक्षिप्त कथन से है और वे न्यायालय में दिए गए साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं । छोटे-छोटे/तुच्छ लोपों से न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है कि संबंधित साक्षी झूठे हैं । अभियोजन के साक्ष्य में यहां-वहां असंगतियां और विसंगतियां हो सकती हैं, किंतु यह एक ऐसी त्रुटि है जिससे कोई दांडिक मामला मुक्त नहीं है । मुख्य बात यह देखी जानी चाहिए कि क्या वे असंगतियां मामले की तह तक जाती हैं या उनका संबंध मामले के अमहत्वपूर्ण पहलुओं से है । पूर्ववर्ती दशा में, प्रतिरक्षा पक्ष के लिए साक्ष्य में प्राप्त होने वाली असंगतियों के फायदे की ईप्सा करना न्यायोचित हो सकता है । तथापि, पश्चात्वर्ती दशा में, उसे ऐसा फायदा उपलब्ध नहीं हो सकता है । (पैरा 9, 10, 11 और 12)

दंडादिष्ट करने का प्रश्न आनुपातिकता के सिद्धांत के भाग के रूप में सदैव एक दुरुह प्रश्न रहा है । तथापि, न्यायालय को इस मुद्दे पर और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब एक बार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्धि की गई है, तो उसे दंडादिष्ट करने के लिए उसके साथ अलग से विशेष बर्ताव करने का कोई न्यायोचित्य प्रतीत नहीं होता है । किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिए हैं । अत:, न्यायालय अपीलार्थी को 25 वर्ष तक परिहार का फायदा देने से इनकार करने वाले निदेश को संधार्य नहीं रख सकता है और केवल इस सीमा तक उसके निर्णय को अपास्त करते हैं । (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 12 एस. सी. सी. 324 :	
	उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **कृष्ण मास्टर और अन्य** ;	14

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 :
चन्द्रप्पा और अन्य बनाम **कर्नाटक राज्य** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 56.

2015 की दांडिक अपील सं. 354 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तारीख 10/12 अगस्त, 2015 के निर्णय/दंडादेश के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अभय कुमार, सौरभ मिश्रा, विनीत कुमार सिंह, हिमांशु पाल सिंह और (सुश्री) शैफाली वोहरा

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री गीता लूथरा ज्येष्ठ अधिवक्ता, सर्वश्री पी. के. डे, टी. ए. खान, भरत सिंह, उज्ज्वल जैन, (सुश्री) शिवानी लूथरा लोहिया, करन नागरथ और बी. वी. बलराम दास

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विचारण न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है । अपीलार्थी को तब तक दंडादेश में किसी परिहार के फायदे से भी इनकार किया गया है जब तक वह अभिरक्षा में पच्चीस वर्ष पूर्ण नहीं कर लेती है ।

2. विचारण न्यायालय ने सात अभियुक्तों में से चार को दोषसिद्ध किया था और अपीलार्थी तथा दो अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था । उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धियों के विरुद्ध की गई अपीलों को खारिज कर दिया और अपीलार्थी को छोड़कर अन्य अभियुक्तों की दोषमुक्तियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया ।

3. तारीख 27 मार्च, 2006 को रात्रि में पप्पू और अनिशा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मृतक' कहा गया है) की उनके मकान के प्रथम तल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । अभि. सा. 2, हीना को उसकी

गर्दन पर एक उस्तरे से कई सारी क्षतियां पहुंची थीं । मृतक और अभि. सा. 2 इशरत अली (अभि. सा. 1) के क्रमश: भाई/माता/बहिन हैं । अभि. सा. 4, शबनम अपीलार्थी की पुत्री है, जिसने अपीलार्थी की इच्छा के विरुद्ध अभि. सा. 1 से विवाह किया था । अभि. सा. 3, मोहम्मद इमरान अभि. सा. 1 का भाई है । पक्षकार 5 से 6 फुट की गली से विभाजित आमने-सामने के मकानों में रहते थे जिनका सांझा तलरूप था । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 अपने विवाह के पश्चात् एक अलग निवास-स्थान में स्थानांतरित हो गए थे । अभि. सा. 3 ने घर वापस आने पर अपीलार्थी को अपने मकान के बाहर खड़े हुए देखा और अन्य अभियुक्त मकान से बाहर जा रहे थे जिनके वस्त्र रक्त-रंजित थे । यह साक्षी शव ढूढ़ने के लिए मकान के अंदर गया और अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त हालत में होने के कारण बोलने में असमर्थ थी और इस साक्षी ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 को सूचित किया, जो इसके पश्चात् घटनास्थल पर आए । इससे पूर्व, सायंकाल में अभि. सा. 2 ने देखा था कि अपीलार्थी अपने मकान के बरामदे में खड़ी होकर साक्षी के मकान की ओर से देख रही थी । जब अभि. सा. 4 बरामदे में आई तब अपीलार्थी ने उससे कहा कि साक्षी उसकी बात नहीं सुन रही थी इसलिए यह घटना उसी का परिणाम है और उसने मृतका को तो मार दिया है तथा उसके पति का भी वही अंजाम होगा ।

4. विचारण न्यायालय ने चार अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 449/302/307/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । अपीलार्थी को घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के विषय में, उसकी रक्त-रंजित 'चुन्नी' बरामद न होने और षड्यंत्र के विषय में किसी साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया ।

5. उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलार्थी पर यह हेतु आरोपित किया कि वह अभि. सा. 4 और अभि. सा. 1 के बीच हुए विवाह से नाराज थी और उसने इसका जोरदार रूप से विरोध किया था । अभि. सा. 2, क्षतिग्रस्त साक्षी का साक्ष्य और इसके साथ-साथ अपीलार्थी के प्रकटन के अनुसरण में घटना के अगले दिन की गई रक्त-रंजित ताले और चाबी

तथा 'चुन्नी' जिस पर रक्त के धब्बे थे, की बरामदगी को विश्वसनीय और भरोसेमंद माना गया । अत:, अपीलार्थी को भी अन्य अभियुक्तों की तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया ।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी कि उनमें से किसी ने भी अपीलार्थी के वस्त्रों पर रक्त देखे जाने की बात नहीं कही है । यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी का सामान्य आशय था क्योंकि निश्चायक रूप से यह सिद्ध नहीं किया गया था कि वह हमले के दौरान मौजूद थी । इस बात पर विचार करते हुए कि मकान गली में आमने-सामने अवस्थित थे, अपीलार्थी की घटना के पहले और घटना के पश्चात् स्वयं अपने बरामदे में मौजूदगी स्वाभाविक ही थी और इससे दोषिता का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । अपीलार्थी एक ही समय पर घटनास्थल और अपने मकान पर मौजूद नहीं हो सकती थी । केवल मृतकों के मकान के बाहर खड़ा होने की बात सामान्य आशय का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है । अभि. सा. 2 एक अविश्वसनीय साक्षी है क्योंकि उसका कथन बाद में अभिलिखित किया गया था और उसने अपने मूल कथन में बहुत सारे जोड़-तोड़ किए थे तथा उसमें विरोधाभास भी है । यदि विचारण न्यायालय उसी साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर अपीलार्थी को दोषमुक्त करने के संभव मत पर पहुंचा था, तो उच्च न्यायालय को उसी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं करना चाहिए था । **चन्द्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया है । विरल से विरलतम मामलों की कसौटी को लागू किया जाना चाहिए था और अपीलार्थी को पच्चीस वर्ष से पूर्व परिहार के फायदे से इनकार नहीं किया जाना चाहिए था ।

7. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय का आदेश साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

आधार पर सुविचारित तथा सकारण है । अभि. सा. 4, अपीलार्थी की पुत्री ने स्वयं अपनी माता के विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. 2 एक क्षतिग्रस्त साक्षी थी जिसकी विश्वसनीयता अधिक होनी चाहिए थी । अपीलार्थी की घटनास्थल पर मौजूदगी को अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटन के आधार पर रक्त-रंजित ताले और चाबी तथा उसकी 'चुन्नी' की भी बरामदगी की गई थी जिस पर रक्त के धब्बे थे । विचारण न्यायालय का प्रतिकूल निष्कर्ष अनुचित पाया गया था ।

8. हमने पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख की सामग्री तथा साक्ष्य का परिशीलन किया है । उच्च न्यायालय ने **चन्द्रप्पा** (उपर्युक्त) वाले मामले के प्रतिनिर्देश करने के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करते समय ध्यान में रखी जाने वाली सावधानियों और परिसीमाओं की विस्तारपूर्वक चर्चा की है । इसलिए हमें उक्त चर्चा की पुनरावृत्ति करके अपने आदेश को बोझिल करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है ।

9. दांडिक विचारण में, प्रसामान्यत: मृतक की पत्नी, पति, पुत्र या पुत्री के साक्ष्य को इस सिद्धांत के आधार पर अधिक महत्व दिया जाता है कि उनके लिए ऐसा कोई कारण नहीं होता है कि वे सत्य न बोले और वास्तविक अपराधी को बचाएं । प्रसामान्य मानवीय व्यवहार और आचरण के अनुसार, साक्षी की प्रवृत्ति अपने किसी घनिष्ठ नातेदार अभियुक्त को बचाने और संरक्षा करने की होती है । किसी पुत्री के लिए अपनी ही माता के विरुद्ध, जो अभियुक्त है, साक्ष्य देने के लिए उच्च कोटि की साहसिक धारणा और नैतिक बल चाहिए । ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसी साक्षी की विश्वसनीयता को उतना ही प्रतिवर्ती महत्व क्यों नहीं दिया जाए । अभि. सा. 4 अपीलार्थी की पुत्री है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना से दो दिन पूर्व अपीलार्थी ने उसे यह धमकी दी थी कि या तो वह अभि. सा. 1 को छोड़ दे, नहीं तो वह उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देगी । घटना के ठीक पश्चात् अपने ससुराल के मकान में पहुंचने के पश्चात् वह बरामदे में आई । अपीलार्थी ने, जो अपने बरामदे में खड़ी थी, इस साक्षी से कहा कि उसने मृतकों को

मरवा दिया है क्योंकि वह उसकी बात नहीं सुन रही थी और अगली बार उसके पति को मारा जाएगा । उसने प्रतिपरीक्षा में इसी बात को दोहराया । हमारी राय में, इस साक्षी और अपीलार्थी के बीच के संबंध की प्रकृति पर विचार करते हुए, इस कथन को एक न्यायिकेतर संस्वीकृति होने के कारण, संपुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में समझा जा सकता है ।

10. अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 10.30 बजे अपराह्न में घर लौटने पर उसने अपीलार्थी को देखा था और अन्य अभियुक्त रक्त-रंजित वस्त्रों के साथ उसके मकान से बाहर आ रहे थे और वे अपीलार्थी के मकान की ओर जा रहे थे । थोड़ी देर बाद अन्य अभियुक्त अपीलार्थी के मकान से बाहर आए और गली की ओर चले गए । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इसी कथन को दोहराया और विनिर्दिष्ट रूप से इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलार्थी को इस साक्षी के मकान से बाहर आते हुए नहीं देखा था । अपीलार्थी द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर एक रक्त-रंजित ताला और चाबी भी बरामद की गई थी ।

11. अभि. सा. 2 एक क्षतिग्रस्त साक्षी है जिसका घटना में गला काट दिया गया था और इसके कारण उसकी आवाज चली गई थी तथा उसे दो माह अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था । क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि यह उपधारणा की जाती है कि उसी घटना में अपराध का शिकार होने के कारण साक्षी सच बोल रहा है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अन्य अभियुक्तों द्वारा मृतक व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने के पश्चात् अपीलार्थी ऊपर की मंजिल से आई । अपीलार्थी के उकसाने पर अभियुक्त नौशाद, अभि. सा. 4 का भाई, ने पुन: इस साक्षी पर उस्तरे से उसके गले पर हमला किया । जब अभियुक्त जा रहे थे तो अपीलार्थी लड़खड़ाकर इस साक्षी पर गिर गई थी । अपीलार्थी की रक्त-रंजित 'चुन्नी' का पता घटना के अगले दिन उसके संस्वीकृति कथन के आधार पर चला था, इसलिए यह कथन स्पष्ट हो जाता है ।

12. किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या साक्षी के साक्ष्य को समग्र रूप में पढ़ने पर

विश्वास उत्पन्न होता है या नहीं । जब एक बार यह राय बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा, विशिष्ट रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, त्रुटियों और खामियों को ध्यान में रखते हुए, करे तथा यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह साक्ष्य के साधारण नियम के विरुद्ध है या नहीं और क्या साक्ष्य का पूर्ववर्ती मूल्यांकन इतना डगमगा गया है कि वह संदेहास्पद हो गया है । तुच्छ विषयों पर ऐसी छुट-पुट विसंगतियां जो मामले के केंद्र बिंदु को स्पर्श न करती हों, साक्ष्य में से यहां-वहां से संदर्भ के बाहर के वाक्यों को निकालकर अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर, मामले की तह में जाए बिना कुछ तकनीकी गलत को महत्व देकर संपूर्ण साक्ष्य को नामंजूर करना साधारणतया अनुज्ञात नहीं होगा । पुलिस के समक्ष किए गए कथनों में के छुट-पुट लोप कभी भी घातक नहीं समझे जाते हैं । साक्षियों द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए कथनों का अभिप्राय संक्षिप्त कथन से है और वे न्यायालय में दिए गए साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं । छोटे-छोटे/तुच्छ लोपों से न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है कि संबंधित साक्षी झूठे हैं । अभियोजन के साक्ष्य में यहां-वहां असंगतियां और विसंगतियां हो सकती हैं, किंतु यह एक ऐसी त्रुटि है जिससे कोई दांडिक मामला मुक्त नहीं है । मुख्य बात यह देखी जानी चाहिए कि क्या वे असंगतियां मामले की तह तक जाती हैं या उनका संबंध मामले के अमहत्वपूर्ण पहलुओं से है । पूर्ववर्ती दशा में, प्रतिरक्षा पक्ष के लिए साक्ष्य में प्राप्त होने वाली असंगतियों के फायदे की ईप्सा करना न्यायोचित हो सकता है । तथापि, पश्चात्वर्ती दशा में, उसे ऐसा फायदा उपलब्ध नहीं हो सकता है ।

13. अभि. सा. 2 लगभग तेरह वर्ष की आयु की अप्राप्तवय विद्यार्थी थी । वह अपने साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा के दौरान घटना को याद करके फूट-फूट कर रोने लगती थी । उसकी प्रतिपरीक्षा को एक से अधिक तारीखों के लिए आस्थगित करना पड़ा था । थका देने वाली प्रकृति की अपनी प्रतिपरीक्षा में, जो 14 पृष्ठों की है, वह उसी दृढ़ निश्चय के साथ डटी रही । उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी और घटना के दौरान पहुंची क्षति की बात पर वह अडिग रही है । अपीलार्थी

घटनास्थल पर मौजूद अकेली महिला थी । शनाख्त करने में भ्रम का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सिखाए-पढ़ाए जाने की बात से विनिर्दिष्ट तौर पर इनकार किया है और हम उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । उसके साक्ष्य में छुट-पुट और तुच्छ प्रकृति की कुछ विसंगतियां हो सकती हैं । किंतु उनसे घटना के एक भरोसेमंद साक्षी के रूप में उसकी विश्वसनीय समाप्त नहीं हो जाती है ।

14. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्ण मास्टर और अन्य**[1] वाले मामले में उच्च न्यायालय, जिसने एक बाल साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया था, से असहमत होते हुए यह मत व्यक्त किया गया था :–

> "36. ..... इस न्यायालय की समझ से बाहर की बात है कि उच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत के आधार पर और जीवन के किस वास्तविक अनुभव के आधार पर यह निराधार मताभिव्यक्ति की कि यह कल्पनातीत है कि मदन लाल बालक की समझ-बूझ उसके द्वारा बहुत पहले देखी गई घटना के तथ्यों को दोहराने योग्य होगी । इस न्यायालय को विधि का ऐसा कोई सिद्धांत ज्ञात नहीं है कि यह कल्पनातीत बात है कि सुकुमार आयु का एक बालक उसके द्वारा बहुत पहले देखी गई घटना के तथ्यों को दोहराने योग्य नहीं होगा । इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर यह दावा किया था कि उसने अपने परिवार के पांच सदस्यों को बंदूकों से गोलियां चलाकर प्रत्यर्थियों की निर्ममतापूर्वक हत्या करते हुए देखा था । जब सुकुमार आयु का कोई बालक अपने पिता, माता, भाइयों आदि की नृशंसता से हत्या होते हुए देखता है तो उसके लिए अपने संपूर्ण जीवन काल में घटना को भूलाना संभव नहीं है और घटना तथा उसके साक्ष्य अभिलिखित करने के बीच लगभग दस वर्षों का अंतराल होते हुए भी जब किसी सुसंगत समय पर घटना के तथ्यों के बारे में पूछा जाए तो वे निश्चित रूप से उसकी स्मृति में ताजा हो हो जाएंगे ।

---

[1] (2010) 12 एस. सी. सी. 324.

37. इस न्यायालय की यह दृढ़ राय है कि यह कहना एक तेज स्मरण-शक्ति रखने वाले बाल साक्षी के साथ अन्याय करना होगा कि उसके द्वारा बहुत पहले देखी गई घटना के तथ्यों को अपनी स्मृति में ताजा करना कल्पनातीत है । सुकुमार आयु का कोई बालक ऐसी अप्रसामान्य घटनाओं के प्रति, जो उसके जीवन में घटित होती है, सदैव आशुग्राही होता है और अपने शेष जीवन में उन घटनाओं को कभी भूलता नहीं है । उस बालक से भविष्य में जब उन घटनाओं के बारे में बताने के लिए कहा जाए तो वह ठीक-ठीक और हू-ब-हू दोहरा देगा । इसलिए, जिस निरर्थक आधार पर अभि. सा. 2 मदन लाल के भरोसेमंद परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया गया है उसकी इस न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि करना कठिन है ।"

15. प्रत्येक दांडिक विचारण सत्य की खोज करने के सिवाय कुछ नहीं है । किसी दांडिक विचारण के पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य केवल यह देखना नहीं है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो, अपितु यह देखना भी है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न जाए । पहली बात जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही दूसरी भी है । दोनों ही लोक कर्तव्य हैं जिनका न्यायाधीश को निर्वहन करना चाहिए । विचारण न्यायालय ने गलती की है और साक्ष्य का गलत मूल्यांकन करके त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है ।

16. दंडादिष्ट करने का प्रश्न अनुपातिकता के सिद्धांत के भाग के रूप में सदैव एक दुरूह प्रश्न रहा है । तथापि, हमें इस मुद्दे पर और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब एक बार अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्धि की गई है, तो उसे दंडादिष्ट करने के लिए उसके साथ अलग से विशेष बर्ताव करने का कोई न्यायोचित्य प्रतीत नहीं होता है । किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिए हैं । अतः, हम अपीलार्थी को 25 वर्ष तक परिहार का फायदा देने से इनकार करने वाले निदेश को संधार्य नहीं रख सकते हैं और केवल इस सीमा तक उसके निर्णय को अपास्त करते हैं ।

17. परिणामतः, हम इस अपील में ऊपर उपदर्शित सीमा के सिवाय, कोई गुणागुण नहीं पाते हैं ।

18. यह अपील केवल ऊपर उपदर्शित सीमा तक मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.

[2019] 1 उम. नि. प. 366

एम. एल. सिंगला

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक और एक अन्य

20 सितम्बर, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 और धारा 11क] – अपील – कर्मकार पर रोकड़िया के रूप में कार्य करते हुए, ड्यूटी के दौरान शराब पीने और सुरक्षित नकद से नकद गायब करने का आरोप – विभागीय जांच – जांच के दौरान कर्मकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर देना – जांच में दोनों आरोप साबित होना – कर्मकार को पदच्युत करना – चुनौती देना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि किसी कर्मकार ने रोकड़िया के रूप में कार्य करते हुए, अपनी ड्यूटी के दौरान शराब पी है और सुरक्षित नकद से नकद भी गायब किया है तो वह कर्मकार अपने दायित्व से बच नहीं सकता है और यदि विभागीय जांच में उपर्युक्त दोनों आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, उसकी पदच्युति के आदेश को मनमाना या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है ।